न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-352/2026

Rautara P.S. Case No.- 44/2026

1. मकबुल हुसैन पिता हजरत अली, उ0त0 35 वर्ष,
साकिन– हथिया दियारा, थाना– कटिहार मुफ्फसिल,
जिला– कटिहार। .....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री..... सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री .....श्री ललन कुमार झा।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 21.05.2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 06.03.2026 को आवेदक की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार झा द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका रूमाली खातून ने थानाध्यक्ष रौतारा को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 16.02.2026 को समय करीब 11:00 बजे दिन में मैं अपने दो पतोहू के साथ घर पर थी। मेरा पति एवं बड़ा पुत्र हैदराबाद मजदूरी करने गए हुए हैं तथा मेरा तीन पुत्र घर के पीछे कुछ दूरी पर मखना का खेत में मजदूरी करने गए हुए थे तथा दो पुत्र जानवर को चारा लाने खेत गए हुए थे तभी मेरा सौतेला ननदोसी मकबुल हुसैन मेरे धर पर आये तथा खाना खाने मांगे, जिसके पश्चात उन्हें खाना दिया गया । खाना खाने के उपरान्त बिना किसी बात के गाली गलौज देने लगे तथा कहे कि तुम्हारे पति के पास पचास हजार रूपया पाते हैं। तब मैंने कहा कि मेरे पति को आने दीजिए जो भी रूपया पाते हैं मेरा पति आने के बाद दे देगा। यह सुनकर बोले कि तुम्हारा अपना ननदोसी मो0 साकीम बोले हैं कि रूपया लेकर आओ नहीं तो बलात्कार कर घर के बक्सा से रूपया निकाल लो यह कहते हुए मकबुल हुसैन मेरा पहना हुआ कपड़ा फाड़ कर अर्द्धनग्न कर दिए तथा बलात्कार करने का प्रयास किये तथा अपने दांत से मुझे कई जगह काट कर जख्मी कर दिए। हल्ला गुल्ला की आवाज सुनकर मेरी दोनों पतोहू मुझे बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट किये तथा मो0 साकीम के आदेश पर मेरे घर से पचास हजार रूपया नगद तथा मेरी पतोहू अजमेरी खातून के पांव से छः भरी का चांदी का पायल छीन लिए। हल्ला–गुल्ला की आवाज सुनकर मेरा तीन पुत्र सहारूल हक एवं मोकीम हक तथा एमारूल हक के घर आते आते मेरी ननद सनवरी खातून, अनसारूल, एवं अन्य पांच छः व्यक्ति नाम ना मालूम को लेकर मेरे घर आ गई तब तक मेरा तीनों पुत्र भी घर पर पहुंच गया। बिना किसी से कुछ पूछे उक्त सभी व्यक्ति एक मत होकर हम सभी घर वालो को लाठी डंडा से मारपीट करते हुए जख्मी कर दिये तथा अपने घर वापस भाग गये, जिसके पश्चात सदर अस्पताल कटिहार में ईलाज उपरान्त आवेदन दे रही हूँ।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार झा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ललन कुमार झा द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया

गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप झूठा एवं बनावटी है। वास्तविकता यह है कि सूचिका का पति आवेदक से 50,000/– रूपया उधार लिया था तथा वह उसी पैसे को हड़पने के नियत से आवेदक के विरूद्ध यह झूठा केस किया है। धारा 74 भारतीय न्याय संहिता का आरोप बनावटी है, आवेदक के विरूद्ध झूठा लगाया गया है। इस वाद में प्राथमिकी विलम्ब से दाखिल किया गया है। अन्य सह अभियुक्तों का जमानत विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका रूमाली खातून के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध रौतारा थाना कांड संख्या– 44/2026 दिनांक 20.02.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 76, 303(2), 352(2), 351(2), 3(5) के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 46/2025 दिनांक 28.02.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 76, 352(2), 351(2), 3(5) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया है। आवेदक सूचिका का ननदोषी है तथा उसपर आरोप है कि सूचिका के पति ने उससे पचास हजार रूपया लिया था, जिसकी मांग किया और बोला कि रूपया लेकर आओ और इसी क्रम में सूचिका का पहना हुआ कपड़ा फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। सूचिका को बचाने आये अन्य लोगों के साथ लाठी–डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया। सभी जख्मियों का जख्म चिकित्सक की राय में साधारण प्रकृति का पाया गया है। घटना के स्वतंत्र साक्षी संजय कुमार एवं संतोष कुमार के बयान के अनुसार उभय पक्षों के मध्य पूर्व बकाया को लेकर गाली गलौज एवं धक्का–मुक्का की घटना हुई थी तथा छेड़खानी करने का आरोप सरासर गलत है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में आवेदक मकबुल हुसैन को बंधपत्र पर मुक्त किया गया है तथा अन्य सह अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2026 को जमानत पर मुक्त किया गयाा हे। अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के आधार पर दिनांक 21.04.2026 को आवेदक एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 76, 352(2), 351(2), 3(5) के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक मकबुल हुसैन को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	21-05-2026
Date of reserving order	21-05-2026
Uploading Date	21-05-2026
Uploaded by	

Web copy of Court, Katihar

Web Copy of Civil Court, Katihar